न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. सवजी पिता नाथू पारगी, जाति मीणा, निवासी भचडिया जगतान, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती शारदा पत्नि सवजी पारगी, जाति मीणा, निवासी भचडिया जगतान, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगा पुत्री सवजी पारगी, जाति मीणा, निवासी भचडिया जगतान, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमति जशोदा पुत्री सवजी पारगी, जाति मीणा, निवासी भचडिया जगतान, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.) जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिखली, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
दिनांक 08.07.2019 प्र.सं. 44/2019

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री दिनेश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय दिनांक 07–03–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष नाथू जी थे, जिनके 3 पुत्र गौतम, सवजी प्रतिवादी संख्या 1 व शंकर हुए। सवजी ने एक शादी शान्ति प्रतिवादी संख्या 2 से की, जिसकी पुत्री गंगा प्रतिवादी संख्या 3 है तथा दूसरी पत्नी चतुरी से वादिया पैदा हुई। वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी नंबर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 कुल किता 9 रकबा 12 बीघा भूमि मौ[illegible] जगतान में स्थित है, जिसमें वादिया का 1/3 [illegible] प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:37 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम विधि विरुद्ध विकय पत्र संपादित किया है एवं उक्त विकय के आधार पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है, वह वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। विवादित आराजियात में वादिया का आधा हिस्सा है। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–07–2019 से वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर इस न्यायालय में अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 26–02–2021 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10–02–2021 को वादिया/रेस्पांन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट श्रीमती गंगा को धमकी देने पर उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सवजी की मृत्यु पश्चात विधिक रूप से दोनों पुत्रियों के नाम भूमि दर्ज किये जाने का कथन किया है, जबकि सवजी तो अभी जीवित होकर अपीलान्ट है। अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किये गये विकय पत्र को विधि वि[illegible]ए उसे निरस्त करने का निवेदन किया है एवं [illegible] विकय [illegible]स्तुत किया है, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:37 IST
Reason: SelfAttested

स. प्रभारी अधिकारी
एवं वदन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के वाद में अंकित तथ्यों को तथा साक्ष्य में अंकित बयानों पर विचार नहीं किया गया है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2020 (1) पेज 508 एवं आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 922 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुरूप बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत् 2022 में विवादित आराजी नंबर 274, 292, 293, 300, 304, 314, 316, 317, 318 कुल किता 9 रकबा 12 बीघा नाथू वल्द दल्ला के नाम अंकित है तथा नाथू जी के तीन पुत्र शंकर, सवजी व गौतम हुए। सवजी की एक पुत्री गंगा व दूसरी पुत्री वादिया जशोदा थी, जबकि सवजी ने पैत्रृक सम्पत्ति में सिर्फ एक पुत्री गंगा के नाम विक्रय पत्र निष्पादित किया है, इससे स्पष्ट होता है कि वह अपनी दूसरी पुत्री वादिया को पैत्रृक सम्पत्ति से वंचित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया को विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 07–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

सवजी पिता नाथू पारगी, जाति मीणा निवासी भचडिया जगतान, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर व अन्य — बनाम — श्रीमती जशोदा पुत्री सवजी पारगी जाति मीणा, नि. भचडिया जगतान, त. चिखली, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....4/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....सीमलवाडा..... मुकाम.....मुवर्खे.....08.....माह.....07.....2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....07....माह.....03.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी...श्री दिनेश चौबीसा....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री प्रवीण शुक्ला

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 08–07–2019 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....07....माह.....03.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:37 IST
Reason: SelfAttested